

## हरति न्यायाधिकरण और गन्ना क्रेशरों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम

गौरतलब है, कि पर्यावरण मंत्रालय चीनी उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानदंडों को अधिसूचित कर चुका है| राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने अपने एक निर्णय में यह संकेत दिया है कि गन्ना क्रेशर जिन्हें परंपरागत रूप से कोल्हू (kohlu) के नाम से जाना जाता है - के लिए पृथक मानदंड होंगे|

## प्रमुख बदुि :

- हाल ही में, राष्ट्रीय हरति न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (Central Pollution Control Board CPCB) को गन्ना क्रेशरों से होने वाले प्रदूषण के विषय में अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में वृहत स्तर पर होता है |
- वदिति हो कि यह न्यायाधिकरण सहारनपुर निवासी अनिल कुमार की याचिका की सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में गन्ना क्रेशरों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हरित नयायालय से मानदंड और नियम बनाने की मांग की गयी थी।
- उल्लेखनीय है, कि न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की गयी मांगों के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विनियामकों को बनाने हेतु की गई आवेदक की मांग का समर्थन किया |
- इसने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' द्वारा 'को<mark>ल्हू' की निगरानी व उनका मूल्यां</mark>कन किये जाने की आवश्यकता है।
- इसके अतरिकित न्यायाधिकरण ने यह भी कहा है कि गन्ना क्रेशर बड़ी मात्रा में हान<mark>कारक गैसों का उत्</mark>सर्जन करते हैं तथा नलिंबति पार्टिकुलेट मैटर व समबन्धित क्षेत्र के तापमान को बढ़ाने में भी योगदान करते हैं।
- न्यायाधिकरण ने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय गन्ना विनिर्माण संघ(ISMA) <mark>के अनुसार, वर्</mark>ष 2010 से 2015 के मध्य औसतन 1296 लाख मेगाटन गन्ने के लिए तथा इसके 31.6% (409.4 लाख मेगाटन) भाग के लिए कोल्ह का उप<mark>योग कि</mark>या गया था।
- इसके अतरिकित,यह भी उल्लेख कया गया कि पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में तक़रीबन 5000 करेशरों का उपयोग किया गया था।

अतः इन समस्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए हरति न्यायाधिकरण ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से गन्ना करेशरों.उनके दवारा होने वाले परदूषण तथा परयावरण पर पडने वाले इसके परभावों के विषय में एक सवतंतर अधययन करने को कहा है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/green-tribunal-wants-independent-study-on-pollution-from-cane-crushers